न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 112/2013

दायर दिनांक 09/05/2013
निर्णय दिनांक –17/06/2015

1–श्री विष्णु पिता जीवतराम पण्डया ,जाति ब्राहमण निवासी नयागॉव पटवार हल्का सामलिया ,तहसील सागवाडा ।

–वादी–

1–लैण्डहोल्डर तहसीलदार ,तहसील कार्यालय सागवाडा जिला डूंगरपुर।

–प्रतिवादीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सपठीत धारा 125,136 एल0आर0एक्ट0बाबत् घोषणा एवं इंद्राज दुरस्ती ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि, भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान सरकार के खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2022 के मौजा गांव नयागॉव तहसील सागवाडा जिला डूॅगरपुर राज0 के कमांक नं 92 के नम्बर खाता 92 में कूल खेत 22 कुल रकबा 3बीधा 8बिस्वा हीरजी वल्द तुलसीराम ब्राहमण के नाम से दर्ज है। जो खातेदार श्री हीरजी की एक मात्र वारीसदार उनकी पत्नि श्रीमती लीला ने अपनी सगी बहन श्रीमती केशर पत्नि श्री जीवतराम के पुत्र विष्णु (वादी) को वसीयत में उक्त खेत दिये है। जिसका खसंरा न.304, 785, 786, 802, 810, 811/1, 811/2, 813, 896, 1250, 1253, 1309, 1315, 1326, 1351, 1357, 1370, 1375, 1914, 1916, 2120 व 935 है। उक्त जमीन का वसीयत के आधार पर वादी का नाम दर्ज हुआ तथा वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2064–67 मौजा नयागॉव के खाता न.225 नया व 163 पुराना में खसंरा नं 786, 802, 810, 811/1, 811/2, 813, 896, 1250, 1253, 1309, 1315, 1326, 1351, 1357, 1370, 1375 दर्ज है।

भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान सरकार के खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2022 के मौजा गांव नयागॉव तहसील सागवाडा जिला डूॅगरपुर राज. के कमांक नं.92 के नम्बर खाता 92 में कुल खेत 1 (एक) रकबा 2(दो) बिस्वा हीरजी वल्द तुलसीराम ब्राहमण के नाम से दर्ज है। तथा वसीयत के साथ प्राप्त खेत के साथ उक्त खसंरा नं. 1775 पर भी वादी का एक मात्र कब्जा व स्वामित्व है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

हीरजी वल्द तुलसीराम ब्राहमण की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के आधार पर उनकी समस्त कृषि भूमि व अन्य सम्पत्ति पर वादी ही काबिज है तथा उक्त वर्णीत खेतों परएक मात्र कब्जा वादी का ही रहा है तथा शान्तिपुर्ण ढग से वादी खेती कर फसल इत्यादि प्राप्त करता आ रहा है।

वादी द्वारा रेवेन्यु नकल की आवश्यकता होने पर पटवारी के पास जाने पटवारी ने बताया कि ,खसंरा नं. 1775 रेवेन्यु खाते में दर्ज नही है जिस पर खसंरा नं. 1775 के सम्बन्ध में प्रतिवादी से पूछताछ की मगर प्रतिवादी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला । वादी का हीरजी वल्द तुलसीराम ब्राहमण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नि की वसीयत के आधार पर खसंरा नं.1775 की कृषि भूमि में नाम रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज नही है जो कि राजस्व विभग की एक भयंकर भूल है जो गैर कानुनी है तथा वादी का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जाना आवश्यक है ताकि वादी को परेशान नही होना पडे व वादी को भारी क्षति उठानी नही पडें।

वादी ने प्रतिवादी को कई बार कहॉ मगर हर बार टालमटोल करते रहे वे इन्द्राज दुरस्त व घोषणा कराने में सहमत नही होने से यह वाद वादी को प्रस्तुत करना पडा।

अतः मौजा खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2022 के मौजा गांव नयागॉव तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज. के क्र.नं.92 के नम्बर खाता 92 का खसंरा नं1775 जिसका वर्तमान खसंरा नं 1775 वादी के नाम हीरजी वल्द तुलसीराम ब्राहमण की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित कर इन्द्राज दुरस्ती कराना फरमावे।

प्रकरण में पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दिनांक 05/06/2013 को प्रस्तुत किया गया कि, मौजा नयागॉव के खसंरा नं. 1775 पर वादी स्वंय अपना कब्जा व स्वामित्व साबित करें। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य रूप में भू–प्रबन्ध विभाग की मौजा नयागॉव तहसील सागवाडा की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2022 खाता सं 92 प्रस्तुत की जिसमें कुल किता 22 रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा हीरजी पिता तुलसीराम ब्राहमण खातेदार दर्ज है (EX1),खाता सं 92 खसंरा सं. 1775 रकबा 02 बिस्वा हीरजी वल्द तुलसीराम ब्राहमण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। (EX2),नक्शा ट्रैस मौजा नयागॉव खसंरा सं. 1775(EX3), जमाबन्दी संवत् 2064–67 मौजा नयागॉव पटवार हल्का सामलिया खाता सं 225 जिसमें कुल किता 18 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा प्रार्थी के नाम दर्ज है (EX4), गिरदावरी चतुवर्षीय मौजा नयागॉव संवत् 2067 खाता सं. 225(EX5), नक्शा ट्रैस मौजा नयागॉव खाता सं 225 (EX6), प्रतिलिपि

दस्तावेज वसीयतनामा श्री लीलबाई बेवा हीरजी ब्राहमण द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 27/12/1991 (EX7), नामान्तरण सं 575 जिसके द्वारा खाता सं 163 कुल किता 18

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा वसीयतनामें के आधार पर खाता सं 225 में प्रार्थी के नाम दिनांक 16/09/2004 को दर्ज किया गया (EX8) आदि साक्ष्य.प्रस्तुत किए।

प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । पत्रावली में दिनांक 16/06/15 को वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावलीका अवलोकन किया गया । निर्णय निम्नानुसार है–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्तमान में खाता सं. 225 मौजा नयागॉव पटवार हल्का सामलिया में कुल किता 18 रकबा 3 बीधा 2 बिंस्वा प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है जो श्री हीरजी पिता तुलसीराम ब्राहमण निवासी नयागॉव के लाऔलाद फौत होने पर उनकी पत्नि श्रीमती लीलबाई बेवा हीरजी ब्राहमण के नाम दर्ज हुई । श्रीमती लीलबाई बेवा हीरजी ब्राहमण द्वारा वसीयतनामा दिनांक 27/12/1991 के द्वारा खाता नं 92 कुल खेत 22 कुल रकबा 2 बीधा 08 बिस्वा आराजी मकान एवं समस्त सम्पत्ति प्रार्थी को उत्तराधिक्रारी के रूप में प्रदान कर दी । दिनांक 16/09/2004 को खाता सं 225 कुल किता 18 रकबा 03 बीधा 2 बिस्वा वसीयतनामें के आधार पर प्रार्थी के नाम दर्ज हुई । प्रार्थी के अनुसार खाता सं 92 खसरा नं. 1775 रकबा 02 बिस्वा भी हीरजी पिता तुलसीराम ब्राहमण के नाम दर्ज है जिस पर वादी एकमात्र कब्जा एवं स्वामित्व है तथा उक्त आराजी वसीयत के आधार पर प्रार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिए ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसीयतनामें के आधार पर हीरजी पिता तुलसीराम ब्राहमण निवासी नयागॉव की समस्त आराजियात प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी है अतः प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी सवंत् 2022 खाता सं 92 रकबा 02 बिस्वा मौजा नयागॉव तहसील सागवाडा राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर प्रार्थी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है इस आशय की ड्रिक्री जारी हो। निर्णय सरे ईजलास सुनायां गया। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा